संख्या-1566/2026/1472/22-2-2026-17(845)/2026

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 04 नवम्बर,2026

विषयः- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शफी अहमद पुत्र श्री भोले शाह, निवासी जनपद-रामपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक,(मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-26895/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 30-06-2026, दिनांक 15.07.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार सिद्धदोष बन्दी शफी अहमद पुत्र श्री भोले शाह, जो ग्राम-सितौरा बिलासपुर, थाना-बिलासपुर, जनपद-रामपुर का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 18.04.1981 को 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर शकूर अहमद नामक व्यक्ति का अपहरण कर हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-241,297/1981, 19/1982, भा0द0वि0 की धारा- 302/34, 364, 323 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं०-03, रामपुर के दण्डादेश दिनांक 09.03.1983 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 30.07.2018 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए मा० सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 12.02.2026 तक अपरिहार 07 वर्ष, 04 माह, 26 दिन तथा सपरिहार 09 वर्ष, 07 माह, 27 दिन की सजा भोगी गयी है।

पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, रामपुर द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है।

दयायाचिका समिति की आख्यानुसार जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी को मा० न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 12.02.2026 तक अपरिहार 07 वर्ष, 04 माह, 26 दिन तथा सपरिहार 09 वर्ष, 07 माह, 27 दिन की भोगी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने तथा बन्दी द्वारा कारित अपराध एवं प्रकृति (01 व्यक्ति का अपहरण कर हत्या) के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

-2

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शफी अहमद (बन्दी संख्या-49662) पुत्र श्री भोले शाह, निवासी जनपद-रामपुर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1566/2026/1472(1)/22-2-2026 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, रामपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्य मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।